न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/59 **दायरा दिनांक : 07.06.2023**

उनवान

1– गोपाल वल्द स्वर्गीय श्री मांगीलाल, जाति तमोली
2– निर्मल कुमार वल्द स्वर्गीय श्री मांगीलाल, जाति तमोली
3– सावित्री बाई पत्नी स्वर्गीय श्री मांगीलाल, जाति तमोली
4– रमेश चन्द वल्द बिशनलाल, जाति तमोली
अकवाम निवासीगण ग्राम अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– पन्नी बाई पत्नी गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी कचनारी उर्फ गोरधनपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– सुनीता पुत्री स्व. श्री मांगीलाल, जाति तमोली
3– अनिता पुत्री स्व. श्री मांगीलाल, जाति तमोली
4– बरखा पुत्री स्व. श्री मांगीलाल, जाति तमोली
अकवाम निवासीगण ग्राम अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 एवं श्री भानू प्रताप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 3, 4 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 74/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अकलेरा, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी संख्या 199 नई व पुरानी 182 की खसरा नम्बरान क्रनशः 1395/371 की 5 बीघा व 1501/371 की 12 बिस्वा कुल योग 2 किता की 5 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादिनी के तन्हा खाते एवं कब्जे काश्त की स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 15.07.2016 से वाद वादिनी डिकी किया जाकर आदेश दिया कि वादिनी के खाते की ग्राम अकलेरा की खसरा नं. 1395/371 की 05 बीघा व खसरा नं० 1501/371 की 12 बिस्वा आराजी पर आने जाने का पूर्वजों के समय से चला आ रहा रास्ता खसरा नं0 543 से गुजरते हुए खसरा नं0 354 व 353 की मेड से होकर दिया जाता है। प्रतिवादीगण के द्वारा रास्ता को अवरूद्ध कर दिया गया हो तो उसे पूर्व की भांति खुलासा कराया जाये। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाये कि वह हमेशा रास्ते को पूर्व की भांति खुलासा रखें। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के पूर्णतया विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1/वादिनी पन्नी बाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251, 183 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया था और रास्ता खुलासा करने की सहायता चाही थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता खुलासा करने के अधिकार तहसीलदार को है एवं धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत कोई खातेदार अपनी भूमि के बारे में ही वाद प्रस्तुत कर सकता है, सिवायचक भूमि एवं अन्य खातेदार की भूमि के मामले में धारा 183 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इन सभी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पोडेन्ट 1 का वाद डिकी करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे में रेस्पोडेंट कम 1/वादिनी ने खसरा नम्बर 543 एवं 353 की भूमि में होकर रास्ता चाहा है परन्तु खसरा नम्बर 543 की भूमि सरकारी भूमि है, ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार था एवं खसरा नम्बर 353 की भूमि नगर पालिका की आबादी की भूमि थी इसलिये नगर पालिका, अकलेरा भी आवश्यक पक्षकार थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी बिन्दुओं को भी नजर अन्दाज किया है एवं इन्हें पक्षकार बनाये बिना वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई, वादिनी ने स्वयं के बयान एवं गवाहों के बयान नहीं करवाये, कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये और न ही कोई साक्ष्य पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के प्रावधान एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट को समुचित सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान 251 (ए) के तहत कोई खातेदार यदि अन्य खातेदार की आराजी में से रास्ता चाहता है तो उसे नियमानुसार धारा 251(ए) के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करना चाहिये था। जिसका क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था, परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही नहीं कर धारा 251 आर. टी. एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अवरुद्ध रास्ते को खुलासा करने बाबत कार्यवाही की है जिसका क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय की नहीं होने से केवल इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को जबरन अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में होकर निकलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जेर अपील राजस्थान लोक अदालत 2016 केम्प अकलेरा में एक तरफा रूप से पारित की है और बिना किसी आधार के मान लिया कि वादिनी के पूर्वजों के समय से रास्ता चला आ रहा है, जबकि वादिनी के खाते की जमीन पूर्वजों की नहीं है। उसने अन्य खातेदार से क्रय की है। ऐसी स्थिति में पूर्वजों के जमाने से आना जाना मानकर एवं कयास के आधार पर कि रास्ता अवरुद्ध कर दिया हो तो उसे पूर्व की भाँति खुलासा करवाया जावे, और निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया है, जो अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.03.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील में न्याय हित में नोटिस दिनांक 04.01.2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील में न्याय हित में नोटिस दिनांक 04.01.2024 जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की इजराय की पालना बाबत प्राप्त हुआ है, की प्रति पेश करना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि सलंग्न दस्तावेज नोटिस की प्रति रेकार्ड पर लिये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 (वादिनी) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 251, 183 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादिनी खसरा नम्बर 1395/371 की 5 बीघा व खसरा नम्बर–1501/371 की 12 बिस्वा कुल किता दो की 5 बीघा 12 बिस्वा आराजी की तन्हा खातेदार है। इस आराजी पर वादिनी का आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर–543 की सरकारी भूमि व खसरा नम्बर 353 की नगर पालिका की भूमि में होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की खसरा नम्बर–354 की भूमि की मेड पर होकर कुदमी रास्ते से पूर्वजों के जमाने से निकलते हुऐ आ रहे हैं, परन्तु प्रतिवादीगण ने रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। वादिनी की भूमि पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। अतः वादिनी का वाद डिक्री किया जाकर रास्ते को खुलासा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 केम्प, अकलेरा में दिनांक 15.07.2016 को कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर वादिनी का वाद एकतरफा रूप से 15.07.2016 को डिक्री कर दिया। इसलिए अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई।

रेस्पोडेन्ट कम 1 (वादिनी) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र से यह साबित है कि अपीलान्ट द्वारा दावा धारा–251, 183 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया था और रास्ता खुलासा करने की सहायता चाही थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय शिड्यूल के अनुसार धारा–251 आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता खुलासा करने का अधिकार तहसीलदार को है एवं धारा–183 आर.टी.एक्ट के तहत राजकीय भूमि या नगर पालिका की भूमि पर बेदखली का अधिकार वादिनी को नहीं है। राजकीय भूमि के मामले में धारा–183 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के मामले में धारा–183 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद पत्र की सुनवायी करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी कानूनी बिन्दुओं को नजर अंदाज कर निर्णय जेर अपील पारित किया गया है, जो अवैधानिक है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा खसरा नम्बर–543 एवं 353 की भूमि में होकर रास्ता चाहा गया है। परन्तु खसरा नम्बर–543 की भूमि सरकारी भूमि है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार था एवं खसरा नम्बर–353 की भूमि नगर पालिका की आबादी की भूमि थी। इसलिए नगर पालिका भी आवश्यक पक्षकार थी। जिन्हें पक्षकार बनाये बिना दावा चलने योग्य नहीं था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर भी कोई गौर नहीं फरमाया।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी। वादिनी ने अपने वाद को प्रमाणित करने के लिए स्वयं के बयान भी नहीं करवाये, न ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। इस प्रकार वादिनी का वाद अदम सबूत में ही खारिज होने योग्य था। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया।

यदि कोई पक्षकार अपने खातेदारी की जमीन में अन्य पक्षकार के खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहता है तो उसके लिए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251–ए में पृथक से प्रावधान दिए गए हैं। परन्तु रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही नहीं कर धारा–251 आर.टी.एक्ट के तहत अवरूद्ध रास्ते को खुलासा करने की कार्यवाही की है जिसका क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को नहीं है। फिर भी निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित कर दिया है, जो अवैधानिक है। इस संदर्भ में आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 801 अवलोकनीय है।

राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें दोनों पक्षकार लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण को निस्तारित कराने के लिए आवेदन करें। विवादित मामले में अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) के द्वारा राजस्व लोक अदालत में कोई सहमति प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर राजस्व लोक अदालत में नहीं किया जा सकता। लोक अदालत में सहमति/राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है, मेरिट पर निस्तारण नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के प्रावधानों को समझने में भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के यह मान लिया कि वादिनी के पूर्वजों के समय से रास्ता चला आ रहा है। जबकि वादिनी ने तो जमीन अन्य खातेदार से क्रय की है। जब मौके पर रास्ता ही नहीं है तो खुलासा करने का प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए वादिनी के द्वारा निर्णय एवं डिक्री की पालना कराने हेतु सन् 2024 में इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया जो करीब 8 वर्ष बाद प्रस्तुत किया। इससे भी स्पष्ट है कि वादिनी का अपने खेत पर जाने के लिए अन्य रास्ता मौजूद है।

नजीर–2023 (2) डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 1019 पर प्रतिपादित किया है कि लोक अदालत में प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण नहीं किया जा सकता एवं केवल एक ही पार्टी की उपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता ।

नजीर 2023 (2) डी.एनजे. (रेवेन्यू) पेज 1381 पर प्रतिपादित किया है कि लोक अदालत में राजीनामें की सहमति वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है, मेरिट पर नहीं। आर.आर. टी. 2017 (2) पेज 1105 पर प्रतिपादित किया कि तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह न्याय हित में एवं प्रकरण की परिस्थितयों को दखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार फरमाया जावे।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के आधार पर वादिनी को अपने खाते की आराजी पर आने–जाने के लिए प्रतिवादीगण के द्वारा अवरूद्ध रास्ते को खुलासा करने का आदेश दिया है परन्तु धारा–251 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण की सुनवायी का अधिकार तहसीलदार को होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त होने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–1 (वादिनी) को निर्देश दिए जावे कि वह वैकल्पिक रास्ता न होने की स्थिति में प्रतिपक्षी खातेदार की आराजी में रास्ता बाबत् नियमानुसार धारा 251–ए के तहत प्रभावित पक्षकार राज्य सरकार व नगरपालिका अकलेरा को पक्षकार बनाते हुऐ नियमानुसार कार्यवाही करें।

अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन 251 पेज 757, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेज 808 तृतीय अनुसूची, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 801, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सेक्शन 251–ए पेज 773, आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1104 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम– 2, 3, 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम–1 (वादिनी) का वाद अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत डिक्री कर रास्ता खुलासा करने का आदेश दिया जो क्षेत्राधिकार से परे हैं कानून धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार साहब को है ऐसी स्थिति में आदेश निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट गोपाल की सगी बहने हैं अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में हम रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नहीं हैं।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1969 पेज 1 से 3 व आर.आर. डी. 2000 पेज 557 से 560 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी। दौराने बहस अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 में रास्ता खुलासे कराने का अधिकार तहसीलदार को है, ना कि उपखण्ड अधिकारी को। नगरपालिका तथा सिवायचक भूमि भी इस रास्ते में सम्मिलित है, लेकिन नगरपालिका तथा तहसीलदार को पार्टी नहीं बनाया गया है। मेरे खाते की जमीन पर यदि रास्ता चाहिए तो शुल्क जमा कर धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में वाद लाना चाहिए था। वर्ष 2016 में निर्णय पारित किया गया, लेकिन 2023 में इजराय पेश हुई तभी हमारी जानकारी में आने पर अपील पेश की गई।

दौराने बहस रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वर्ष 2016 के निर्णय के खिलाफ 7 वर्ष बाद अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। धारा 251 ए की जगह धारा 251 गलती से लिख दी गई, जिससे अपील में कोई प्रभाव नहीं पडता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हमारी राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में रास्ते के अवरोध को हटाने का आदेश देने की अधिकारिता तहसीलदार को दी गई है। उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्राधिकार धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में है जिसमें नया मार्ग खोलने का प्रश्न हो। इस सन्दर्भ में यहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यु 2009 (2) आर.आर.टी. पेज 801 का उल्लेख करना समीचीन है जिसमें रास्ते में बाधा अथवा रास्ते के विवाद से संबंधित मामले में उपखण्ड अधिकारी को अधिकारिता नहीं होना बताया गया है।

उक्त वाद में नगरपालिका को तथा तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाना त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य के विवादित रास्ते को पूर्वजों के समय से चला आ रहा रास्ता घोषित करना भी त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण भी नहीं किया गया तथा तहसील की कोई रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे यही एकमात्र रास्ता होना प्रमाणित होता हो।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमारी राय में राजस्व लोक अदालत में राजीनामे के प्रकरणों का निरस्तारण किया जाना उचित है। प्रस्तुत वाद में कोई राजीनामा पेश हुए बिना ही लोक अदालत में निर्णय करना त्रुटिपूर्ण है। हमारी राय में यदि रेस्पोडेंट को अपीलांट की जमीन पर रास्ता चाहिए तो धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में वाद लाना चाहिए था।

अतः उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.08.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवाकर एवं इस बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करते हुए कि रेस्पोडेंट को कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं है। यह भी जांच करें कि रेस्पोडेंट पूर्व में अपने खाते में जमीन में किस प्रकार आते जाते रहे हैं। उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए धारा 251 (ए) के नियमों को मध्य नजर रखकर पुनः प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी/एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा